राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान, कुंडली, सोनीपत

NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT, SONEPAT

पत्रांक : एन/एस.टी.डब्लू./ एस.डब्लू./2020/20/५8 **31 मार्च, 2021**

कार्यालय ज्ञाप

संस्थान के विभिन्न विभागों में एकत्रित/ उपलब्ध पुराने अख़बारों की रद्दी, मैगज़ीन तथा अन्य ज्वलनशील सामग्रियां यथा कार्टन/ गत्ता/ प्लास्टिक्स इत्यादि के निश्चित अन्तराल पर त्वरित निपटान हेतु इन सामग्रियों के निपटान की निम्नलिखित दरें निर्धारित की जाती है :

1. अख़बार - 12.00 रूपये प्रति किलो
2. मैगज़ीन/ प्रिंटेड वेस्ट - 9.50 रूपये प्रति किलो
3. कार्टन/ गत्ता - 9.00 रूपये प्रति किलो

सभी विभागों से अपेक्षा है कि वे समय-समय पर अथवा निश्चित अन्तराल पर अपने विभाग में उपलब्ध ज्वलनशील अख़बार, मैगज़ीन, कापियां, गत्ते, प्लास्टिक इत्यादि का समय पर निपटान कर प्राप्त धनराशि लेखा विभाग को स्क्रैप का विवरण देते हुए में जमा कराये ।

स्क्रैप का निस्तारण, सम्बंधित विभाग द्वारा 2 कार्मिकों की समिति की निगरानी / देखरेख में कराया जाये । एक सदस्य किसी अन्य विभाग अथवा लेखा या क्रय विभाग से रखा जाये । स्क्रैप वेंडर को गेट पास देते समय गेट पास पर वजन/वाहन स०/मात्रा आदि का उल्लेख तथा संबंधित विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर अपेक्षित है । यदि स्क्रैप अधिक मात्रा में होने के कारण उसका वजन निफ्टेम में संभव नहीं है, तो धर्मकांटा पर भार मापन कराया जाये तथा धर्मकांटे के चार्जेज का भुगतान निफ्टेम द्वारा स्क्रैप के मूल्य में समायोजित किया जाये ।

स्क्रैप का निपटान संस्थान द्वारा चयनित वेंडर्स अथवा अन्य किसी भी स्क्रैप वेंडर को उक्त निर्धारित या अधिक दरों पर (उससे कम पर नही) किया जा सकता है । उक्त प्रक्रिया सम्बंधित समिति की उपस्थिति में ही करायी जाये । वर्तमान में उपलब्ध स्क्रैप वेंडर्स की जानकारी निम्नवत है :

1. मेसर्स दीपक कुमार स्क्रैप डीलर - 9554304666
2. मेसर्स सहरावत इंटरप्राइजेज - 9466420591
3. मेसर्स नाथ जी इंटरप्राइजेज - 9215310250/ 9813010250
4. मेसर्स गुरुकृपा स्क्रैप वर्क्स - 9466202828/ 9625392670

31/3/21

कुलसचिव

सूचनार्थ प्रतिलिपि :-

(1) माननीय कुलपति महोदय के निजी सचिव ।
(2) निजी सहायक, कुलसचिव ।
(3) सभी विभागाध्यक्ष/ संकायाध्यक्ष/ संकायप्रभारी/ परीक्षा नियंत्रक/ उप नियंत्रक (लेखा)/ सहायक कुलसचिव/ सहा.पुस्तकालयाध्यक्ष/ अधिकारी ।
(4) आई.टी. इंचार्ज :- उक्त आदेश इंट्रानेट/वेबसाइट एवं ई-नोटिस बोर्ड पर अपलोड कराने हेतु ।
(5) सम्बंधित मिसिल ।